<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2337 / 2025
लालगंज थाना कांड सं0–380 / 2025
धारा–85,3(5) B.N.S. & ¾ D.P. Act.

Web Copy not Official

02.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण रामजी महतो, नगिया देवी, राहुल महतो एवं सीता देवी की ओर से दर्ज मुकदमा लालगंज थाना कांड सं0–380 / 2025 मे गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद मे उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद की सूचिका चॉदनी कुमारी द्वारा दिनांक 28.07.2025 को नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान इस आशय का दिया गया कि "मेरी शादी हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 08. 12.2020 को सुजीत महतो पिता–रामजी महतो, साकिन–पिथरमा, थाना–लालगंज, जिला–वैशाली, के साथ संपन्न हुई। शादी के अवसर पर मेरे माता–पिता उपहार स्वरूप 05 लाख नगद, 02 लाख का सोना–चॉदी का गहना तथा 02 लाख का टी.भी., फ्रीज, गोदरेज, कपड़ा बगैराह समान दिये थे। शादी के बाद मै अपने ससुराल गई जहॉ कुछ दिनो के बाद मेरा पति सुजीत महतो, सॉस नगिया देवी, ससुर रामजी महतो, गोतनी सीता देवी, भैसुर राहुल महतो मुझे नैहर से 02 लाख रूपया एवं मोटरसाईकिल दहेज मे मांग कर लाने का दबाब देने लगे इंकार करने पर मुझे बार बार मारपीट व प्रताड़ित करते थे। एक साल पूर्व मुझे सभी लोग मारपीट कर पुत्र श्रीयांश राज के साथ भगा दिया तब से नैहर मे थी। मुझे जानकारी मिली कि पति तलाक का मुकदमा कर दिया है तब दिनांक 27.07.2025 को समय 08 बजे सुबह मे अपने पुत्र को लेकर पिता के साथ ससुराल गये तब सभी लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। मेरे पति जान मारने के नियत से हसुआ से मेरे सिर पर मारा जिससे मेरा सिर कट गया। सॉस मेरा गला दबाने लगी जब मेरे पिताजी

बचाने लगे तो मेरा भैसुर तथा ससुर दोनो मिलकर फैट–मुक्का से मारने लगे। ग्रामीणो के जुटने पर किसी तरह जान बची तब ईलाज हेतु सदर अस्पताल हाजीपुर आये जहां मेरा ईलाज चल रही है। पूर्व मे मेरी सॉस जलाने के नियत से गर्म तेल शरीर पर फेक दिया था।"

Web Copy not Official

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदकगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही है। सूचिका द्वारा लगाया गया सभी आरोप मनगढ़त, झुठा एवं आधारहीन है। आवेदकगण निर्दोष है तथा उनहे इस वाद मे ग्रमीाण राजनिति एवं पूर्व दुश्मनी के कारण फसाया गया है। आवेदकगण अन्य अभियुक्त सुजीत महतो से अलग रहता है तथा इनके द्वारा कभी भी सूचिका को प्रताड़ित नही किया गया और न ही दहेज की मांग किया गया है। आवेदकगण सॉस, ससुर, भैसुर एवं गोतनी है। प्रस्तुत मुकदमा से पूर्व सह अभियुक्त सुजीत कुमार द्वारा तलाक हेतु केस सं0– 223/25 दाखिल किया गया है। आवेदकगण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तो के साथ मिलकर सूचिका सह पिड़िता से दहेज की मांग किया गया तथा उसे प्रताड़ित किया गया है जो कि एक गंभीर अपराध है। विद्वान अपर लोग अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यद्यपि आवेदकगण पिड़िता के पति के नातेदार है परंतु न केवल इनलोगो के उपर

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2337/2025

भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है बल्कि जख्म रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि पिड़िता के सिर पर इनसाईड जख्म पाया गया है तथा सिर पर मारपीट के कारण सुजन की बात बतायी गयी है तथा शरीर के अन्य अंग पर भी चोट पायी गयी है। मामला अभी अनुसंधानरत है तथा आवेदकगण न्यायालय के माध्यम से पिड़िता को अपने घर भी ले गये थे परंतु पुनः लेआकर सुनवाई के दौरान न्यायालय के छोड़कर ही चले गये थे। अतः ऐसी परिस्थिति मे आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

Web Copy not Official

-Sd-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	02-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	01-04-2026
Uploading Date	07-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar